



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 72/2021 निर्णय दिनांक 17/06/2022

श्रीमान् बन्नाम श्रीमान् श्रीमान् [विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है।

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956**

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1.	रूपपुरा	2012-75	167	675	0.21	975	0.14				
				689	0.23	976	0.34				
				695	0.28	975	1.20				

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

#### क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक श्री ए.सी. खरेड़ी को 1100/- रु./ की फीस पर कमीश्रर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीश्रर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की / स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 17/06/2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 फोलोअप केम्प श्री ए.सी. खरेड़ी में मजमे आम सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

संदीप कुमार  
सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला श्रीलदाडा

क्रमांक / रीडर / 2022 / 112

दिनांक 17/06/2022

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला श्रीलदाडा

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	प्राथी / अप्राथी
1	श्याम लाल पिता पृथ्वीराम ब्राह्मण नि. ब्राह्मणों की सरैरी त. आसीड	- - do -
2	बेबी लाल पिता पृथ्वीराम ब्राह्मण नि. ब्राह्मणों की सरैरी त. आसीड	- do -
3	नेपाल पिता पृथ्वीराम ब्राह्मण नि. ब्रा. की सरैरी त. आसीड	- do -
4	रामलाल पिता शेकरलाल ब्राह्मण नि. ब्रा. की सरैरी त. आसीड	- do -
5	बन्हा पिता शंकरलाल ब्राह्मण नि. ब्रा. की सरैरी त. आसीड	- do -
6	काना पिता शंकरलाल ब्राह्मण नि. ब्रा. की सरैरी त. आसीड	- do -
7	बनुमान पिता शेकरलाल ब्राह्मण नि. ब्रा. की सरैरी त. आसीड	- do -
8	संतोष पति शेकरलाल ब्राह्मण नि. ब्रा. की सरैरी त. आसीड	- do -
9	भैरु पिता भगना ब्राह्मण नि. रूपपुरा त. आसीड	अप्राथी
10	जमदीश पिता जिया शर्मा नि. रूपपुरा त. आसीड	- do -
11	जेठु पिता मोहन शर्मा नि. रूपपुरा त. आसीड	- do -
12	डीरा पिता लट्टी ब्राह्मण नि. रूपपुरा त. आसीड	- do -
13	गोवर्धन पिता हजारी शर्मा नि. रूपपुरा त. आसीड	- do -
14	सुशीला पति कृता की शर्मा नि. रूपपुरा त. आसीड (भीलवाडा)	- do -
15	केलाश पिता मूलाशर्मा नि. रूपपुरा त. आसीड (भीलवाडा)	- do -
16	हरदेव पिता नानु गुजर नि. रूपपुरा त. आसीड (भीलवाडा)	- do -
17	देवा पिता ज्वारा गुजर नि. रूपपुरा त. आसीड (भीलवाडा)	- do -
18	काना पिता ज्येगा शर्मा नि. रूपपुरा त. आसीड (भीलवाडा)	- do -
19	भैरु पिता जमना जाट नि. रूपपुरा त. आसीड	- do -
20	राजस्थान राजम जातिवे आसीड	- do -
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

सहायक कलेक्टर {S.D.O.}  
आसीड जिला भीलवाडा